

श्रीमती बन्ना हरिद्वार

सहीद पृष्ठ

पक्ष वा कार्यवाही एवं अनुपस्थिति का

दावा

क्र. 342/2022

28.12.2022

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी पक्ष पक्षकारान् अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार आज्ञा दिलवाई गई। वकील वादी व पक्षकारान् में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकील वादी एवं पक्षकारान् की अनुपस्थिति में दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(Signature)
28/12/22



(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी श्रीमधोपुर (सीकर)

